पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 369/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-21.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 21.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना – अहरौलाः अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 14.12.2024 को वादी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादी की बहन को विपक्षी अनूप चौहान पुत्र अज्ञात ग्राम रन्डाकोडर थाना थानगांव जनपद सीतापुर द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गये, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 521/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम 1. अनूप चौहान पुत्र अज्ञात ग्राम रन्डाकोडर थाना थानगांव जनपद सीतापुर के अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 विजयी के सुपुर्द हुयी। दौराने विवेचना धारा 87 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 21.12.2024 को उ0नि0 विजयी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनूप कुमार पुत्र औतार ग्राम रन्डा कोडर थाना थानगांव जनपद सीतापुर को असिलाई मोड़ पकड़ी तिराहा के पास से समय करीब 14.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थाना- जीयनपुर: नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 05.03.2024 को आवेदक कैलाश पुत्र पतिराम निवासी चौको खुर्द थाना जीयनपुर का एफआईआर काउन्टर से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ आवेदक के भाई रामबेलास व कमलेश पुत्र पतिराम को सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आशीष कौशल पुत्र लालधर निवासी पारनकुण्डा थाना जीयनपुर आजमगढ को खाते से 195000, वर्ष 2019 में दिया गया और 535000 नगद वर्ष 2021 में दिया गया जब आवेदक सचिवालय पहुँचा गया तो पता चला की नौकरी के लिये दिया गया आइडी कार्ड और नियुक्ति पत्र फर्जी है आवेदक द्वारा आशीष कौशल उपरोक्त से अपने का पैसे का मांग किया गया तो आशीष कौशल उपरोक्त द्वारा अक्टूबर 2023 में देने को कहा गया था परन्तु आवेदक को पैसा वापस नही किया गया आवेदक द्वारा पैसा मांगने पर गाली गुप्ता देकर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 83/2024 धारा 419/420 467/468/471/504/506/406भादवि बनाम आशीष कौशल पुत्र लालधर निवासी पारनकुण्डा थाना जीयनपुर आजमगढ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 जाफर खान द्वारा सम्पादित की जा रही है ।विवेचना के क्रम मे।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 21.12.2024 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष कौशल पुत्र लालधर निवासी पारनकुण्डा थाना जीयनपुर आजमगढ को होटल दीप कान्टीनेन्टल रोडवेज बस स्टैन्ड आजमगढ़ के पास से समय 12.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03. थाना फूलपुरः दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 17-10-2024 को वादी मुकदमा श्री विजयी पाण्डेय पुत्र स्व सुर्यनाथ पाण्डेय ग्राम- हैबतपुर, थाना- कोतवाली देवगाँव, जनपद आजमगढ़ के द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि वादी की पुत्री सुष्मिता की शादी हिन्दू रिति रिवाज से दि0 22/5/2021 को नीरज पाण्डेय उर्फ डिम्पल पुत्र हौसिला उर्फ झूनझून पाण्डेय ग्राम- दुवार्षा(पडौली), थाना- फूलपुर जनपद आजमगढ़ से करना, शादी के बाद से ही ससुराल वालो द्वारा तीन वर्षो से दहेज में बुलेट गाडी की माँग करना व प्रताडित करना और दहेज की माँग को लेकर ससुराल के लोगो ने साजिश के तहत मेरी बेटी की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 520/24 धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट बनाम 1.पति नीरज पाण्डेय उर्फ डिम्पल पुत्र हौसिला उर्फ झूनझून पाण्डेय 2. ससुर हौसिला उर्फ झुनझुन पुत्र अज्ञात 3.सास कुसुम पाण्डेय पत्नी हौसिला पाण्डेय 4. शेषनाथ पुत्र कमला (चचिया ससुर) 5. (चचिया सास) बाला पत्नी शेषनाथ ग्राम-दुवार्षा(पडौली), थाना- फूलपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय फूलपुर आजमगढ के द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनाक 21.12-2024 को उ0नि0 गौतम कुमार सरोज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (पति) नीरज पाण्डेय उर्फ डिम्पल पुत्र हौसिला उर्फ झूनझून पाण्डेय पाण्डेय ग्राम- दुवार्षा(पडौली), थाना- फूलपुर जनपद आजमगढ़ को जगदीशपुर पुलिया से समय 13.10 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

04.थाना अतरौलिया: चोरी की 05 घटनाओं का अनावरण, चोरी गये सामान के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 19.12.24 को वादी मुकदमा जंगबहादुर सिंह पुत्र स्व0 रामदेव सिंह निवासी गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा उनके पोखरे के पास स्थित पानी का मोटर व 15 किग्रा ट्यूबवेल की पाईप को चुरा लिया गया है, प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 400/24 धारा 303(2) BNS बनाम 1. अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया। तथा दिनांक 19.12.24 को वादी मुकदमा श्री अरुण कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 गजानन पाण्डेय निवासी अचलीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा उनके खेत में सिंचाई के लिये लगे पानी के मोटर को चुरा लिया गया है प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 401/24 धारा 303(2) BNS बनाम 1. अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया। दिनांक 02.07.2024. को वादी मुकदमा श्री राजू वर्मा पुत्र सूर्यभान वर्मा निवासी अतरैठ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा उनके खेत में लगे छोटे इंजन को चुरा लिया गया है प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0247/24 धारा 303(2) BNS बनाम 1. अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया। दिनांक 08.06.2024. को वादी मुकदमा श्री दिनेश पाण्डेय पुत्र राजकरन पाण्डेय निवासी अचलीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा उनके खेत में लगे पानी के मोटर को चुरा लिया गया है प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0208/24 धारा 379 भादवि बनाम 1. अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया है। दिनांक 15.05.2024. को वादीनी मुकदमा श्रीमती स्वास्तिका सिंह प्रधानाध्यपक प्रा0वि0 भवानीपुर अतरौलिया द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा उनके विद्यालय मे गेट का ताला तोड़कर किचेन और स्टोर रुम के दरवाजे का ताला तोड़कर गैस सिलेण्डर व खाद्य सामग्री को चुरा लिया गया है प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0173/24 धारा 457/380 भादवि बनाम 1. अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया है। दौराने विवेचना चोरी के माल बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 400/24 ,मु0अ0स0 401/24 मु0अ0सं0 247/24 मे धारा 317(2) बीएनएस तथा मु0अ0स0 208/24 ,मु0अ0सं0 173/24 मे धारा 411 IPC की बढोत्तरी करते हुये अभियुक्तगण 1. विजय कुमार पुत्र जगबन्धु निवासी अचलीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2. प्रेम शेखर पुत्र श्रीपत निवासी गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ 3. राजन कुमार पुत्र राम किशोर निवासी खपुरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ 4. वीरेन्द्र उर्फ विजेन्द्र राजभर पुत्र लालजीत राजभर निवासी बोधीपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश में लाया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 21.12.24 को उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला, उ0नि0 अभिषेक यादव मय हमराह को सूचना मिली की चार व्यक्ति अचलीपुर प्रा0विद्यालय के पास बोरी में चोरी का सामान लेकर खडे है व बेचने की फिराक मे है उक्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँचकर चोरी गये सामान के साथ 04 अभियुक्तों को समय 05.40 बजे हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्तों के पास से चोरी के माल बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 400/24 ,मु0अ0स0 401/24 मु0अ0सं0 247/24 मे धारा 317(2) बीएनएस तथा मु0अ0स0 208/24 ,मु0अ0सं0 173/24 मे धारा 411 IPC की बढोत्तरी की गई है।। तथा अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 400/24 धारा 303(2)/ 317(2) BNS

2. मु0अ0सं0 401/24 धारा 303(2) /317(2) BNS थाना अतरौलिया आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 0247/24 धारा 303(2) BNS/317(2)
4. मु0अ0सं0 0208/24 धारा 379/411 भादवि
5. मु0अ0सं0 0173/24 धारा 457/380/411 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. विजय कुमार पुत्र जगबन्धु निवासी अचलीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 28 वर्ष
2. प्रेम शेखर पुत्र श्रीपत निवासी गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ 21 वर्ष
3. राजन कुमार पुत्र राम किशोर निवासी खपुरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ 20 वर्ष
4. वीरेन्द्र उर्फ विजेन्द्र राजभर पुत्र लालजीत राजभर निवासी बोधीपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ 23 वर्ष

बरामदगी – 03 अदद मोटर चोरी संबंधित , 01 अदद गैस सिलेंडर , 3280/ रुपये

05.थाना- रौनापार: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 18.12.24 को वादिनी थाना रौनापार जनपद आजमगढ के लिखित प्रार्थना पत्र कि सुबह 8.00 बजे वादिनी की पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष को प्रतिवादी शिवम साहनी द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे दिनांक 20.12.24 को मु0अ0सं0 473/24 धारा 137(2),87 बी.एन.एस. बनाम शिवम साहनी पुत्र संजय साहनी निवासी ग्राम रैचन्दपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ के पंजीकृत किया गया।

पीड़िता की बरामदगी दिनांक 20.12.24 को करते हुए बयान अन्तर्गत धारा 180bnss व पीड़िता के उम्र प्रमाण पत्र के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 21.12.24 को उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित शिवम साहनी पुत्र संजय साहनी निवासी ग्राम रैचन्दपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष को बघावर तिराहे से समय करीब 10.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

06. थाना रौनापार: तास के पत्ते व 3850/- रूपया नकद के साथ जुआ अधिनियम के 10 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 21.12.2024 को उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा नियुक्ति थाना रौनापार जनपद आजमगढ मय हमराह द्वारा नैनीजोर बन्धा रोड़ डीह बाबा के स्थान पर कुछ व्यक्ति बैठकर जुआ खेल रहे है, इस सूचना पर तत्काल उ0नि0 मय हमराहियान के मौंके पर पहुंचा तो कुछ लोग जुआ खेलते पकड़े गए। हमराही कर्मचारीगण के मदद से अभियुक्तगण को उनके अपराध का बोध कराते हुए अभियुक्तगण के कब्जे से 52 अदद तास के पत्ते व 3850/- रूपया नकद के साथ कुल 10 नफर अभियुक्तगण को मौंके से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 475/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. सत्येन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 लालजी गुप्ता निवासी नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ।
2. अनिल साहनी पुत्र मुंशी साहनी निवासी नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ।
3. रवि साहनी पुत्र स्व0 रामबचन साहनी निवासी नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ।
4. गुड्डू साहनी पुत्र स्व0 दुधनाथ साहनी निवासी नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ।
5. रामचन्दर साहनी पुत्र प्रकाश साहनी निवासी नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ।
6. रामचन्दर साहनी पुत्र स्व0 शेषनाथ निवासी नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ।
7. श्रवण गौड़ पुत्र रामकरन गौड़ निवासी नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ।
8. अनिरूद्ध साहनी पुत्र स्व0 भूरी साहनी निवासी नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ।
9. सुदर्शन साहनी पुत्र स्व0 अर्जुन साहनी निवासी नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ।
10. विरेन्द्र निषाद पुत्र कल्पनाथ निषाद निवासी मानिकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

बरामदगीः- 52 अदद तास के पत्ते व 3850/- रूपये नकद ।